

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00458

दिनांक 04.05.2018

सेवा में,

श्री ईश्वर दीन,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 28.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 02.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 127723) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 03.05.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो <http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> सहित पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में आसानी से उपलब्ध है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

सरोज क शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690